केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00046
CICOM/R/P/21/00037

अपीलकर्ता : श्री कुमरपाल सिंह
पुत्र - श्री लखमी सिंह
ग्राम - क्यौली खुर्द, पो0 - मुनी
तह0 - खुरजा, जिला - बुलन्दशहर ।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.12.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	02.03.2021
निर्णय की तारीख	19.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 29.12.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 18.11.2020 के द्वितीय अपील के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ।
2. आज तक उचित उत्तर क्यों नहीं दिया गया ।
3. प्रार्थी का ऋण स्वीकृत करके प्रार्थी को दिलाया जाए ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00037 दिनांक 18.01.2021 के माध्यम से बिंदुवार निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गई:-

1. श्री राम पाल सिंह, डाक अनुभाग अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न की गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.11.2020 को प्रेषित की गई दो अपीलें प्राप्त हुई हैं जिसमें से एक डायरी सं. 136623/24.11.2020 द्वितीय अपील सं.CIC/RUGBK/A/2020/136623 के तहत दिनांक 26.11.2020 को दर्ज हुई है जिसकी उचित समय पर सुनवाई की जाएगी तथा दूसरी डायरी सं. 136609/24.11.2020 आयोग के एफ.एम. डायरी सं. 136609/24.11.2020 दिनांक 26.11.2020 को स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नं. ED500625141IN दिनांक 02.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी को वापिस भेज दिया गया ।
2. प्रश्न पूछा गया है जो कि Section 2 (f) of RTI Act, 2005 से परे है । वैसे पारदर्शिता की खातिर बताया जाता है कि उपरोक्त सूचना कमीशन की वेबसाईट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।
3. CPIO के अधिकार क्षेत्र से परे है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 MAR 2021
D. No.........
Initials.........

—2/-

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने पत्र सं. CICOM/R/P/21/00037 के माध्यम से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दाखिल की है तथा प्रार्थना पत्र का उचित एवं निर्धारित समय पर उत्तर दिए जाने तथा 25,00,000/- रु0 का ऋण दिलाने के लिए बैंक को उचित निर्देश देने का अनुरोध किया है ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 29.12.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयवाधि के भीतर ही दिनांक 18.01.2021 को प्रेषित कर दी गई है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल संबंधित लोक प्राधिकरण के रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है । अत: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तत्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । ऋण दिलाने हेतु बैंकों को निर्देश देना प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्व से परे है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 19 मार्च, 2021.

मीना शर्मा
19/3/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (CR-1), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

22/3/21